रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18042023-245228
CG-DL-E-18042023-245228

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 235]	नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 17, 2023/चैत्र 27, 1945
No. 235]	NEW DELHI, MONDAY, APRIL 17, 2023/CHAITRA 27, 1945

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2023

सा.का.नि. 296(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और खान सुरक्षा महानिदेशालय (समूह 'ग' और समूह-'घ' पद) भर्ती नियम, 1989 को जहां तक उनका संबंध ज्येष्ठ हिंदी अनुवादक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, खान सुरक्षा महा-निदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय में ज्येष्ठ हिंदी अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम श्रम और रोजगार मंत्रालय, खान सुरक्षा महानिदेशालय, ज्येष्ठ हिंदी अनुवादक (समूह 'ख' पद)भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर– उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि– भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से,जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पद संख्या**	**वर्गीकरण**
(1)	**(2)**	**(3)**
ज्येष्ठ हिंदी अनुवादक	1* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह-ख,अराजपत्रित, अननुसचिवीय।

वेतन मेट्रिक्स में स्तर	**चयन अथवा अचयन पद।**
(4)	**(5)**
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (रु.-44,900 – 1,42,400)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।**
(6)	**(7)**
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी याप्रोन्नति होगी या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियोंकी प्रतिशता**
(8)	**(9)**	**(10)**
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	संयुक्त पद्धति द्वारा (प्रतिनियुक्ति और प्रोन्नति)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।
(11)
संयुक्त पद्धति (प्रतिनियुक्ति और प्रोन्नति) (I) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों के ऐसेअधिकारी:

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35400 रूपये -112400 रुपये) या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और

(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हो:

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री जिसमे डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो;

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमे डिग्री स्तर पर हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो;

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी माध्यम रहा हो और अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो;

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी माध्यम रहा हो और हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो;

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो; और

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालय जिसके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी है में हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद में और विपर्ययेन में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स या हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद और विपर्यमेन में दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35400 रूपये -112400) में ऐसे विभागीय कनिष्ठ हिंदी अनुवादक जिन्होंने पांच वर्ष नियमित सेवा की है और प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के साथ ऐसे बाह्य व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जिसके पास विहिल शैक्षणिक अर्हताएं है यदि ऐसे व्यक्ति की उस पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना है।
(12)	**(13)**
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए.-12018/03/2016-आईएसएच-II)(पार्ट.III)]

दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 2023

G.S.R. 296(E).—In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in supersession of the Directorate - General of Mines Safety (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1989, in so far as they relate to the post of Senior Hindi Translator, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the post of Senior Hindi Translator, in the Directorate - General of Mines Safety, Ministry of Labour and Employment, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Ministry of Labour and Employment, Directorate - General of Mines Safety, Senior Hindi Translator (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.-** The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.-** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

provided that if the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification
(1)	**(2)**	**(3)**
Senior Hindi Translator	1*(2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-ministerial.

Level in pay matrix	Whether Selection post or non-selection post
(4)	**(5)**
Level 7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	**(7)**
Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption & percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	**(9)**	**(10)**
Not applicable	Not applicable	By composite method (Deputation plus promotion)

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.
(11)
COMPOSITE METHOD (Deputation plus promotion) (I). Officers under the Central Government or State Government or Union Territories: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level 6 in the Pay Matrix (Rs.35400-112400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience : (i) Master's Degree of a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as medium of examination at degree level; Or Master's Degree of a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as medium of examination at degree level; Or Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as medium of examination at degree level; Or Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as medium of examination at degree level; Or Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as compulsory or elective subject at the degree level. And (ii) Recognized Diploma or Certificate Course in translation from Hindi to English and vice-versa or three years' experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central Government or State Government offices, including Government of India Undertakings. **NOTE:** The Departmental Junior Hindi Translator in Level 6 of pay Matrix (Rs. 35,400-1,12,400) with five years regular service and possessing the educational qualification prescribed for deputationists will also be considered alongwith outsiders in case he or she is selected for appointment to the post the same shall be deemed to have been filled by promotion. **Note 2 :** Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment**
(12)	**(13)**
Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary

[F. No. A-12018/03/2016-ISH-II) (Pt.III)]

DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.04.18 15:16:41 +05'30'